20 लाख टन चीनी के निर्यात को मंजूरी

सरकार ने गुरुवार को विपणन वर्ष 2017-18 के अंत तक 20 लाख टन चीनी के निर्यात को मंजूरी दे दी। यह कदम अतिरिक्त भंडार कम करने तथा गन्ना किसानों को भुगतान के लिए चीनी मिलों की नकदी की स्थिति सुधारने के लिए उठाया गया है। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात अधिकार योजना (डीएफआईए) के तहत सितंबर 2018 तक सफेद चीनी के निर्यात को भी मंजूरी दी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार चालू विपणन वर्ष में 21 मार्च तक चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का 13,899 करोड़ रुपये बकाया है।

पृष्ठ 7

निर्यात प्रोत्साहन से मिलों को लाभ नहीं

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 29 मार्च

सरकार द्वारा देश में अतिरिक्त चीनी की मात्रा को विदेशी बाजार में बेचने के निर्णय से भारतीय चीनी मिलों को फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि वैश्विक बाजार में चीनी की कीमतें गिर रही हैं। सरकार ने बुधवार को दो अलग अलग अधिसूचनाओं में सितंबर 2018 तक 20 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी थी। निर्यात की अनुमति शुल्क मुक्त आयात अधिकार योजना (डीएफआईए) के तहत दी गई है।

इसके अलावा सरकार ने चीनी मिलों को अगले छह महीनों में निर्यात की मात्रा के बराबर अक्टूबर 2019 और सितंबर 2021 के बीच कच्ची चीनी का आयात करने के लिए न्यूनतम सूचक निर्यात कोटा (एमआईईक्यू) को मंजूरी दी है। चीनी मिलों को आवंटन की मात्रा

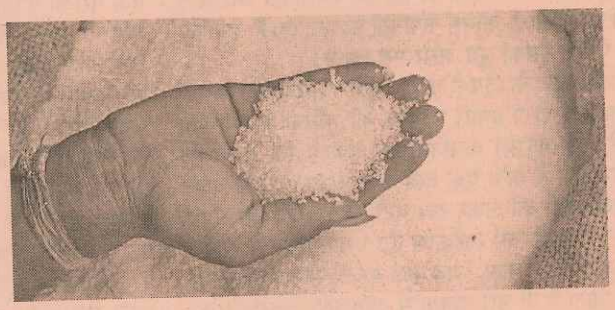

का व्यापार होता है। इसका मतलब है कि छोटी मिलें अपना कोटा बड़ी मिलों को बेच सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस समय फ्री-ऑन-बोर्ड (एफओबी) के आधार पर चीनी के भाव 22 रुपये प्रति किलो चल रहे हैं। इस भाव पर चीनी मिलों को बंदरगाह की निकटता पर निर्भरता के आधार पर निर्यात करने से 7.5 रुपये से लेकर 10 रुपये प्रति किलो नुकसान उठाना पड़ेगा। चीनी मिलें दावा कर रही हैं कि उन्हें उच्च उत्पादन लागत 32-33 रुपये किलो के आधार पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

सरकार ने बुधवार को दो अलग अलग अधिसूचनाओं में सितंबर 2018 तक 20 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी थी

ऐसे में चीनी मिलों द्वारा चीनी का निर्यात करने की संभावना नहीं है, जब तक सरकार चीनी की अतिरिक्त मात्रा के हिस्से को निर्यात हेतु प्रोत्साहन करने के लिए निर्यातकों को विशेष प्रोत्साहन नहीं देती है।

चीनी उद्योग के एक जाने माने अधिकारी ने कहा चीनी मिलों को पहले ही उत्पादन लागत से कम भाव पर चीनी बिकने से काफी नुकसान हो चुका है। ऐसे में मिलें चीनी 10 रुपये प्रति किलो का नुकसान उठा आयात पर शर्तों के साथ चीनी का निर्यात नहीं करना चाहेंगी। अधिकारी ने कहा कि सरकार का चीनी निर्यात के लिए उठाए गए कदम सिर्फ दिखावा हैं। क्योंकि चीनी निर्यात में होने वाले नुकसान की सरकार द्वारा भरपाई किए बिना चीनी की कुछ भी मात्रा निर्यात करना संभव नहीं है। चीनी का करीब 40 लाख टन कैरीओवर स्टॉक है और चालू चीनी वर्ष में 295 लाख चीनी उत्पादन होने का अनुमान है। ऐसे में देश में चीनी की उपलब्धता 335 लाख टन रहने की संभावना है, जबकि देश में चीनी की सालाना खपत 250 लाख टन है। जाहिर है देश में 85 लाख टन चीनी का अधिशेष है। इससे पूरे देश में चार महीने की चीनी के खपत की पूर्ति हो सकती है। चिंता की बात यह है कि वर्ष 2018-19 के दौरान प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक 300 लाख टन चीनी का उत्पादन हो सकता है। इसलिए अगले साल भी चीनी का बंपर उत्पादन होने की संभावना है। लिहाजा अगले साल भी चीनी का बड़ी मात्रा में अधिशेष रहने के आसार है। जिससे स्थिति और खराब हो सकती है।

अधिकारी ने कहा हमने सरकार से चीनी निर्यात पर सब्सिडी देने का अनुरोध किया है। जिससे अतिरिक्त चीनी के कुछ हिस्से को निर्यात करने में मदद मिलेगी। उद्योग को उम्मीद है कि सरकार निर्यात पर सब्सिडी देगी। महाराष्ट्र राज्य सहकारी चीनी कारखाना संघ के प्रबंध निदेशक संजय खाटल ने कहा वर्तमान मूल्यों पर चीनी का निर्यात संभव नहीं है। क्योंकि इन मूल्यों पर निर्यात करने पर मिलों को नुकसान होगा। हालांकि महाराष्ट्र में बंदरगाह के निकट कुछ मिलें चीनी की कुछ मात्रा निर्यात कर सकती हैं।

Business Standard
30/3/18